तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशयल्स जज अपील 124/2018 सरकार (तहसीलदार वैर) बनाम गौरधन पुत्र हजारी
3.4.2018	यह रैफरेंस पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 22.9.2017 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अवलोकन किया गया । निर्णयानुसार रैफरेंस अस्वीकार किया गया है एवं निर्देशित किया गया है कि वर्ष 1947 का रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इस बाबत मौका जांच नहीं की गई कि क्या आवंटन से नदी/ नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है ? इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्देशित किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 D.N.J. 2004(3) (Raj.) Page 1245 (Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & Ors.) तथा स्पेशल अपील याचिका संख्या 850/15 शीर्षक रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 R.R.T. 2016 (1) (H.C.) Page 718 (Ramkaran Vs State of Rajasthan) को मध्यनजर रखकर मौका स्थिति की पूर्ण जांच कर अगर आवश्यक हो तो रैफरेंस भिजवायें। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.9.2018 के अनुसार इस प्रकरण में रिकार्ड का अभाव पाये जाने आवंटन से नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट की स्थिति स्पष्ट नहीं होने निर्णय की मंशा की पूर्ति न किये जाने के कारण यह रैफरेंस अस्वीकार किया गया है। अतः भूमिधारी तहसीलदार वैर को मण्डल के निर्णय दिनांक 22.9.2018 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर,** **भरतपुर**

Web Copy Not Official